



HO/NMD/NEIA/09

12/02/2009

To

Shri Vasant Meheta, Chairman
 The Gems & Jewellery Export Promotion Council
 Diamond Plaza, 5th Floor,
 391-A, Dr.D.Bhadkamkar Marg
 Mumbai - 400 004
 Mr.Sabyasachi Ray, Executive Director
 Phone - 91-22-23821801/23821806/23806916
 Fax - 91-2223808752/23804958
 Website - <http://www.gjepc.com/>

Dear Sir,

Sub: Release of ECGC Press Release in your Publication/Newsletter

Kindly refer the above subject. The Government of India under stimulus package has sanctioned utilization up to Rs350 Crores out of the corpus available under National Export Insurance Account for the benefit of the exporters and banks.

We hereby request your good office to publish the attached press release of ECGC of India in your various publication and Newsletter for the benefit of the exporters and banks

With Warm Regards

M.W. Ghonge
 Asst. General Manager

राष्ट्रीय विदेशी नियन्त्रित व्यापार सम्बन्ध वारदात
 For The Gem & Jewellery Export Promotion Council

21 MAR 2009

21 MAR 2009
 FOR THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL
 FOR THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL
 FOR THE GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION COUNCIL

दलाल हाउस, 2nd मंजिल जम्मालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन: 66138400 फैक्स: 66138444
 Dalmal House, 2nd Floor, Jamnala Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel: 66138400 Fax: 66138444

पंचीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टाओर्स, 10th फ्लॉर, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. भारत, फोन: 66590500-509 फैक्स: 66590517
 Regd. Office : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. India. Tel: 66590500-509 Fax: 66590517
 Website : www.ecgc.in



A Government of India Enterprise
 भारतीय विदेशी नियन्त्रित व्यापार सम्बन्ध वारदात
 You focus on exports. We cover the rest

ECGC of India Ltd., Express Towers, Nariman Point, Mumbai

Press Release

February 9, 2009

PRESS RELEASE

**ECGC OPERATIONALIZE THE GOVERNMENT OF INDIA SCHEME
UNDER STIMULUS PACKAGE FOR THE BENEFIT OF EXPORTERS
AND BANKERS IN THE GLOBAL MELTDOWN AND CURRENT
MARKET SCENARIO**

- Government of India under stimulus package has sanctioned utilization upto Rs.350 Crores out of the corpus available under National Export Insurance Account for the benefit of exporters and banks
- This will result in additional benefits to the exporters and banks
- The percentage of cover is enhanced by 5% under Export Credit Insurance Policies issued to exporters and by 10% under Export Credit Insurance Covers for Banks
- The maximum percentage of cover for the exporters is enhanced to 95% and for the banks to 85%.

For Exporters

- The additional benefits are made available to the exporters for shipments made between January 2009 and 30.06.2009

- Benefits to Exporters under Export Credit Insurance Policy (ECIP) covers issued by ECGC
- The benefits available to all the exporters classified falling under MSME categories
- For non MSME category exporters, the benefit will be extended to those exporters dealing in -
 - Textile (including handicrafts and handloom),
 - Gems and Jewellery,
 - Leather,
 - Engineering products,
 - Carpets,
 - Project goods,
 - Auto components
 - Chemicals

For Banks

- Benefits to banks under Export Credit Insurance Covers (ECIB) are as under
 - For the advances granted to all the exporters classified as MSME sector an additional cover percentage to the extent of 10% will be granted taking the maximum cover percentage under the ECIBs to 85%.
 - The additional benefits are made available to the banks for advances granted between January 2009 and 30.06.2009

For any further clarification ECGC offices could be contacted.

बैंकों के लिए

- निर्यात ऋण बीमा रक्षा (ई सी आई बी) के अधीन बैंकों को निम्नानुसार सुविधा प्रदान की जाएगी:
 - एम एस एम ई क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत सभी निर्यातकों को प्रदान किए गए अंग्रेमों पर ई सी आई बी के लिए अधिकतम रक्षा का प्रतिशत 85% पर 10% की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जाएगी.
 - बैंकों के लिए जनवरी 2009 तथा 30.6.2009 के बीच प्रदान किए गए अंग्रेमों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएगी.

किसी भी अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए ई सी जी सी के कार्यालयों से संपर्क करें.

प्र.का / रा वि प्र / एन ई आई ए

12.02.2009



भारतीय नियांति ब्रह्म
गोवर्णमेंट निगम लिमिटेड
EXPORT CREDIT GUARANTEE
CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
अपने नियांति का व्याप कीट तरीके से इस व्याप की
You focus on exports. We cover the risks.

प्रति,

महोदय,

विषय : आपके प्रकाशन / न्यूज लेटर में ई सी जी सी प्रेस रिलीज को जारी करना

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ले. भारत सरकार ने ग्रोत्साहन योजना के अधीन राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते में निर्यातकों व बैंकरों की सुविधा के लिए उपलब्ध राजकोष में से 350 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

हम आपके कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि कृपया इसके साथ संलग्न ई सी जी सी के प्रेस रिलीज को निर्यातकों व बैंकरों की सुविधा के लिए अपने विभिन्न प्रकाशनों व न्यूज लेटर्स में प्रकाशित करवाएं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित


एप्रेस प्रब्ल्यू घोगे

सहायक महाप्रबंधक

भारतीय नि. ब्र. गा. नि. लि., एक्सप्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉइंट, मुम्बई

प्रेस रिलीज़

9 फरवरी 2009

प्रेस रिलीज़

वैश्विक मंदी तथा वर्तमान मार्केट परिदृश्य में निर्यातिकों व बैंकरों के लिए प्रोत्साहन पैकेज के अधीन भारत सरकार की योजना को ई सी जी सी ने परिचालित किया है।

-
- भारत सरकार ने प्रोत्साहन योजना के अधीन उपलब्ध राजकोष में से निर्यातिकों व बैंकरों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अधीन 350 करोड़ रु की मंजूरी दी है।
 - इसका परिणाम निर्यातिकों व बैंकों के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में होगा।
 - रक्षा के प्रतिशत में निर्यातिकों को जारी निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियों के अधीन 5% व बैंकों को जारी निर्यात ऋण बीमा रक्षा के अधीन 10% की वृद्धि की गई है।

- निर्यातकों के लिए रक्षा के प्रतिशत में अधिकतम 95% तथा बैंकों के लिए अधिकतम 85% की वृद्धि की गई है।

निर्यातकों के लिए

- निर्यातकों के लिए जनवरी 2009 तथा 30.6.2009 के बीच किए गए पोतलदानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।
- ई सी जी सी द्वारा जारी रक्षा निर्यात ऋण बीमा पॉलिसी (ई सी आई बी) के अधीन निर्यातकों को सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- एम एस एम ई श्रेणियों के अधीन वर्गीकृत सभी निर्यातकों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- गैर एम एस एम ई श्रेणी के निर्यातकों के लिए निम्नलिखित कारोबार में लिप्त निर्यातकों को सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी-
 - टेक्सटाइल (हस्तशिल्प व हथकरघा)
 - रत्न व आभूषण
 - चमड़ा
 - इंजीनियरिंग उत्पाद
 - कालीन
 - परियोजना माल,
 - ऑटो कॉम्पोनेट
 - रसायन